

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीडा/यीडा/गीडा/सीडा।

#### औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2023

विषय—‘उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022’ के प्रस्तर 4.3 के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहन प्राविधान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि शासनादेश सं.45/2022/2770/77-6-2022-2 (एम)/2022, दिनांक 04.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 प्रख्यापित की गई है। नीति के प्रस्तर 4.3 में निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन स्कीम का प्राविधान किया गया है। उक्त के कम में नीति के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्राविधानित प्रोत्साहन स्कीम के कियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् निर्धारित की जा रही है:-

#### 1. पात्र संस्थाएँ

कोई भी निजी संस्था अथवा कंसोर्सियम (निजी संस्थाओं का या सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के मध्य) क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्क सहित निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए पात्र होगा।

‘निजी संस्था’ का अभिप्राय किसी भी ऐसे औद्योगिक संगठन/उद्यम से है, जो औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए गठित किया गया हो तथा नीति की वैधता अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 अथवा सोसायटीज़ अधिनियम 1860, भारतीय सहभागिता अधिनियम 1932(इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932) (एक एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी सोसायटी या प्रोपरायटरी अधिष्ठान) अथवा एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) अथवा अन्य समान/प्रतिस्थापन अधिनियमों/समय-समय पर प्रचलित कानून के अंतर्गत पंजीकृत हों।

एसपीवी/कंसोर्सियम के प्रकरण में, सदस्यों के पास निम्नलिखित शेयरहोल्डिंग पैटर्न होना चाहिए—

- कंसोर्सियम के सदस्य सामूहिक रूप से 100 प्रतिशत इक्विटी धारण करेंगे
- प्रमुख सदस्य (लीड मेंबर) के पास न्यूनतम 26 प्रतिशत या अधिक इक्विटी होनी चाहिए

निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने वाली निजी संस्था/कंसोर्सियम को 'विकासकर्ता' कहा जाएगा।

## 2. **निजी औद्योगिक पार्क से संबंधित परिभाषाएँ**

नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों को प्राप्त करने हेतु आवेदनों पर कार्यवाही के लिए निम्नलिखित पात्रता एवं परिभाषाएं लागू होंगी—

i. **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से यह नीति प्रभावी हुई है, अर्थात् 04.11.2022।

ii. **प्रभावी अवधि** का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

### iii. **कट-ऑफ तिथि का अभिप्राय**

(अ) यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होता है, तो नीति की प्रभावी अवधि में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि से है।

(ब) यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ होता है तो इस नीति की प्रभावी तिथि से है।

(स) प्रभावी तिथि से पूर्व यदि सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत परिभाषित किसी भी अन्य मद में (भूमि को छोड़कर) प्रथम निवेश प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात किया जाता है तो उस तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा।

### iv. **पात्र निजी औद्योगिक पार्क**

निजी औद्योगिक पार्क का अभिप्राय बुंदेलखण्ड एवं पूर्वाचल में 20 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में स्थापित औद्योगिक पार्क, मध्याचल एवं पश्चिमांचल में 30 एकड़ अथवा उससे अधिक, प्रदेश में कहीं भी 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में निजी भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्क से है।

### v. **पात्र पूंजी निवेश**

क्षेत्र-विशिष्ट पार्कों सहित निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र कार्य/गतिविधियों में एक औद्योगिक पार्क में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित होंगी। निम्नलिखित मदों पर व्यय होने वाली लागत को पात्र स्थाई पूंजी निवेश के अन्तर्गत विचारित किया जाएगा –

#### अवस्थापना सुविधाएं

- 1) औद्योगिक पार्क के लिए सेतु (आरओबी) (केवल 100 एकड़ या अधिक के औद्योगिक पार्क के प्रकरण में लागू)
- 2) औद्योगिक पार्क के भीतर आंतरिक सड़के

- 3) औद्योगिक पार्क में स्ट्रीटलाइट
- 4) चाहरदीवारी
- 5) वर्षा जल निकासी की सुविधाएँ
- 6) जल वितरण नेटवर्क, जल संवर्धन व संबंधित सुविधाएँ
- 7) सीवरेज नेटवर्क एवं संबंधित सुविधाएँ
- 8) उत्प्रवाह उपचार संयत्र (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) तथा STP संबंधी अवस्थापना
- 9) विद्युत/ऊर्जा/गैस वितरण नेटवर्क व संबंधित सुविधाएँ
- 10) संचार नेटवर्क व संबंधित सुविधाएँ
- 11) पार्किंग व ट्रक पार्किंग बे
- 12) आपदा प्रबंधन योजना, अग्निशमन केन्द्र/उपकरणों सहित अग्निशमन सुविधाएँ।
- 13) विशिष्ट सुविधाएँ/सेवा प्रदान करने के लिए नवीन निर्माण व उपकरण जिन्हें प्राधिकृत समिति प्रासंगिक होने की अनुमन्यता प्रदान करे।

#### व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएँ

- 1) होटल/रेस्तरॉन/जलपान गृह
- 2) चिकित्सालय/औषधालय/स्वास्थ्य केंद्र
- 3) पेट्रोल पंप/विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन
- 4) बैंकिंग व वित्त
- 5) कार्यालय स्थल/प्रशासनिक कार्यालय
- 6) सामान्य सुविधाएँ, यथा— वेयरहाउसिंग एवं संबंधित सुविधाए, वेट ब्रिज, कौशल विकास केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, उत्पाद विकास केंद्र, परीक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, पार्क में वाहनों एवं उत्पादन मशीनरी के लिए मरम्मत—कार्यशाला अथवा कोई सामान्य सुविधा केंद्र(विशेष रूप से पार्क की आवश्यकता हेतु) कोई अन्य भवन जिन्हें प्राधिकृत समिति प्रासंगिक होने की अनुमन्यता प्रदान करे।

#### vi. अपात्र पूँजी निवेश :

पात्र स्थार्ड पूँजीनिवेश की गणना करते समय निम्नलिखित मदों की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा—

- 1) भूमि का मूल्य
- 2) भूमि समतलीकरण हेतु मिट्टी भराई का कार्य
- 3) ईंधन उपभोग्य पुर्जे व स्टोर
- 4) कंप्यूटर व संबद्ध कार्यालय फर्नीचर
- 5) परिवहन वाहन
- 6) निर्माण स्थापना व कमीशनिंग प्रभार
- 7) पूर्व में उपयोग की गई मशीनें/पुरानी मशीनें/नवीनीकृत मशीनरी
- 8) सभी प्रकार के सेवा शुल्क, ढुलाई व माल ढुलाई शुल्क।
- 9) मशीनरी की स्थापना पर व्यय
- 10) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा व संबंधित उपकरण

- 11) परामर्श शुल्क
- 12) स्टेशनरी उत्पाद
- 13) निजी औद्योगिक पार्क हेतु नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया कोई निवेष
- 14) किसी भी प्रकार का अनुरक्षण प्रभार (Maintenance charges)
- 15) अन्य ऐसा कोई व्यय जिसे प्राधिकृत समिति अप्रासंगिक होने की अनुमन्यता प्रदान करे।

- vii. **यूनीक आईडी** का अभिप्राय आवेदन आईडी से अलग एक यूनीक आईडी से है, जो नीति के अंतर्गत आवेदन की पूर्णता एवं प्रासंगिकता के परीक्षोपरान्त यूपीसीडा द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- viii. **स्वीकृति एवं वितरण** : माननीय औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण के अनुमोदनोपरान्त आवेदक को प्रोत्साहनों का संवितरण किया जायेगा। 100 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता के कब्जे में होने तथा निजी औद्योगिक पार्क का मानचित्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात प्रमाणित पूँजीगत व्यय प्रमाणपत्रों के साथ प्रोत्साहन हेतु अनुलग्नक-1 पर संलग्न फार्म 2 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ दावा किया जा सकता है।
- ix. **परियोजना पूर्ण करने की अवधि**  
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 4.3.9 के अनुसार 20 एकड़ -30 एकड़ अथवा उससे अधिक परन्तु 100 एकड़ से कम के औद्योगिक पार्क कट-ऑफ तिथि से पांच (05) वर्ष के भीतर तथा 100 एकड़ अथवा उससे अधिक के औद्योगिक पार्क छः (06) वर्ष के भीतर विकास कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

### 3. योजना के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों हेतु संस्थाएं व समितियां

- i. **नोडल संस्था**— नीति के प्रस्तर 16.10.1 के अनुसार इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) नोडल संस्था होगी।
- ii. **प्राधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी)**—नीति के उप-प्रस्तर 16.10.3 अनुसार औद्योगिक पार्क के प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की अनुशंसा माननीय औद्योगिक विकास मंत्री को प्रदान करने हेतु प्राधिकृत समिति (ईसी) गठित की जाएगी। योजना की व्याख्या के संबंध में किसी प्रकरण में, यह राज्य स्तरीय समिति, योजना के उद्देश्य के दृष्टिगत स्पष्टीकरण/निर्णय करने हेतु अधिकृत होगी, जो अंतिम तथा समस्त संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

### प्राधिकृत समिति का संघटन निम्नवत है :

1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
11	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्चेर्स्ट यूपी	सदस्य
12	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी	सदस्य
13	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15	विशेष आमंत्री जो प्राधिकृत समिति के विचार से उपयुक्त हो	सदस्य
16	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य संयोजक

- iii. **मूल्यांकन समिति (Evaluation Committee)**— नीति के प्रस्तर 16.10.2 के अनुसार, योजना के अंतर्गत निजी विकासकर्ता द्वारा प्रोत्साहन हेतु किए गए आवेदन के परीक्षण के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। मूल्यांकन समिति द्वारा प्रारंभिक आवेदन, प्रोत्साहन हेतु दावों के लिए आवेदन का परीक्षण किया जाएगा तथा पूर्ण एवं प्रासंगिक पाये जाने पर यूनीक आई0डी0 निर्गत करने का अनुमोदन करेगी। मूल्यांकन समिति द्वारा प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की अनुशंसा प्राधिकृत समिति को की जाएगी।

## मूल्यांकन समिति का संघटन (Composition)

1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, परिवहन, नियोजन, ऊर्जा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उदयान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सिचाई विभाग एवं ऊर्जा विभाग द्वारा नामित सदस्य (विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के)	सदस्य
3	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
4	सम्बन्धित जिलाधिकारी	सदस्य
5	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी०	सदस्य
6	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	सदस्य
7	सम्बन्धित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र	सदस्य
8	संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
9	समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
10	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य संयोजक

### 4. निजी औद्योगिक पार्क को स्थापित करने की प्रक्रिया

#### 4.1. आवेदन, यूनीक आई०डी० तथा स्वीकृति एवं वितरण

- राज्य में निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने तथा इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के इच्छुक विकासकर्ता द्वारा डी०पी०आर० तथा चेकलिस्ट के अनुसार निर्धारित प्रारूप में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा।
- आवेदन के प्रोसेसिंग हेतु शुल्क देय होगा जो नोडल संस्था के पक्ष में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क रु. 10,000.00 (रु दस हजार मात्र) होगा।
- मूल्यांकन समिति द्वारा पूर्ण एवं प्रासगिक पाए गये आवेदनों को यूनीक आई०डी० निर्गत की जाएगी। नीति में वर्णित स्टाम्प ड्यूटी की छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, निजी औद्योगिक पार्क के मध्य आने वाली सरकारी व सार्वजनिक भूमि के विनियम तथा भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए यूनीक आई०डी० पर्याप्त होगी।
- यूपीसीडा द्वारा जारी यूनीक आई०डी० के सत्यापन के बाद स्टाम्प एवं निबंधन विभाग आवेदक द्वारा छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। विकासकर्ता को औद्योगिक पार्क में

परियोजना पूर्ण करने की अवधि (बिन्दु सं 2 के ix के अनुसार) के अन्दर विकास कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के पश्चात यूपीसीडा की अनुशंसा पर स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा अवमुक्त की जाएगी।

- v. योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के वितरण के लिए पात्र स्थायी पूंजी निवेश की कुल लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत व्यय के प्रत्येक माइलस्टोन के पूर्ण होने के बाद दावा किया जा सकता है।
- vi. प्रोत्साहन वितरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेखों एवं प्रपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। यूपीसीडा द्वारा आवेदन में दी गई सूचना की पूर्णता एवं प्रासंगिकता का परीक्षण किया जाएगा तथा नीति के प्राविधान के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए पूंजी निवेश के परीक्षण एवं प्रमाणन के आधार पर मूल्यांकन समिति द्वारा प्राधिकृत समिति को प्रोत्साहनों के स्वीकृति एवं वितरण की संस्तुति की जाएगी। प्राधिकृत समिति द्वारा प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की अनुशंसा माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उ०प्र० को की जाएगी एवं माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उ०प्र० के अनुमोदन उपरान्त आवेदक को प्रोत्साहन स्वीकृति एवं वितरण किया जायेगा।
- vii. स्थायी पूंजी निवेश के लिए पूंजीगत उपादान के प्रकरण में, 10 प्रतिशत उपादान की पांचवीं किस्त के लिए अनुरोध औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए विक्रय योग्य भूमि के 100 प्रतिशत आवंटन के पूर्ण होने पर आवंटन पत्रों एवं डीड की प्रतियों के साथ किया जाएगा। इसी प्रकार, शेष 15 प्रतिशत प्रोत्साहन की छठी किस्त के लिए अनुरोध औद्योगिक पार्क में 80 प्रतिशत इकाइयों द्वारा अपना व्यावसायिक संचालन प्रारंभ करने के बाद 80 प्रतिशत इकाइयों के पक्ष में उपायुक्त उद्योग द्वारा जारी व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ होने के प्रमाण पत्रों के साथ किया जाएगा।
- viii. विकासकर्ता को ओपेन एक्सेस के माध्यम से बिजली प्रदान किए जाने का प्राविधान होगा।

#### 4.2. भूमि अधिग्रहण, मानचित्र का अनुमोदन एवं सम्पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate)

- i. विकासकर्ता द्वारा भूमि सीधे अर्जित की जा सकती है। किसी भी प्रकार की लीज पर प्राप्त भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।
- ii. मानचित्र के अनुमोदन हेतु आवेदन करने के पूर्व निम्न दशायें पूर्ण होनी चाहिये:-
  - (a) निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित 100 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता के नाम एवं कब्जे में होनी चाहिए।
  - (b) निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि एक साथ एक खण्ड के रूप में (Contiguous) होनी चाहिये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि बीच में कोई रोड़ आती है तो उसे भी Contiguous माना जाएगा।

- (c) निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का भू उपयोग औद्योगिक होना चाहिये।
- (d) निजी औद्योगिक पार्क के मध्य आने वाले किसी भी सरकारी भूमि/सार्वजनिक भूमि का भूमि विनिमय हो जाना चाहिये।
- iii. ऐसे निजी औद्योगिक पार्क जो किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में प्रस्तावित हैं, में औद्योगिक पार्क के मानचित्र अनुमोदन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) प्राधिकृत होगा तथा यूपीसीडा अनुलग्नक-1 पर संलग्न निजी औद्योगिक पार्क के विशेष रूप से निरूपित सामान्य उपनियम तथा दिशा निर्देशों के अनुसार मानचित्र अनुमोदित करेगा। औद्योगिक पार्क के परिसर में स्थापित की जाने वाली वैयक्तिक औद्योगिक इकाई (Individual Industrial Unit) का मानचित्र यूपीसीडा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- iv. अनुमोदित मानचित्र के अनुसार परियोजना पूर्ण करने की अवधि (बिन्दु सं0 2 के ix के अनुसार) में विकासकर्ता द्वारा औद्योगिक पार्क का समर्त विकास कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र में सम्पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आवेदन किया जाएगा तथा सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र द्वारा इंफास्ट्रक्चरल आडिट कराते हुए परीक्षोपरान्त सम्पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

## 5. योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

### 5.1. सहायता का परिमाण

क्षेत्र	बुंदेलखण्ड व पूर्वाचल	मध्यांचल व पश्चिमांचल	राज्य में कहीं भी
औद्योगिक पार्क का न्यूनतम क्षेत्र	20 एकड़	30 एकड़	100 एकड़
परियोजना पूर्ण करने की अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष
स्थायी पूंजी निवेश पर पूंजीगत उपादान (भूमि एवं हॉस्टल/डॉरमेट्री की लागत को छोड़कर)	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु 45 करोड़ तक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु 40 करोड़ तक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु 80 करोड़ तक
हॉस्टल/डॉरमेट्री की लागत पर पूंजीगत उपादान	अधिकतम रु 25 करोड़ तक	अधिकतम रु 25 करोड़ तक	अधिकतम रु 50 करोड़ तक
स्टाम्प ड्यूटी में छूट	100 प्रतिशत छूट	100 प्रतिशत छूट	100 प्रतिशत छूट

## 5.2. प्रोत्साहनों का वितरण

प्रोत्साहनों का संवितरण निम्न प्रकार किया जाएगा—

- (क) स्थायी पूँजी निवेश के मद में पूँजीगत उपादान के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 4.3.1 (i) तथा 4.3.2 (i) का संदर्भ ग्रहण करें) इस मद में कुल लागत के क्रमशः 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के व्यय के पश्चात 04 किश्तों में की जाएगी। अनुमोदित योजना के अनुसार पार्क में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु विक्रय योग्य भूमि का शत-प्रतिशत आवंटन पूर्ण होने पर आगामी 10 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा। शेष 15 प्रतिशत प्रोत्साहन पार्क में 80 प्रतिशत इकाइयों द्वारा अपना व्यावसायिक संचालन प्रारंभ करने के बाद संवितरित किया जाएगा।
- (ख) हॉस्टल / डॉरमेट्री की लागत के मद के अंतर्गत पूँजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 4.3.1 (ii) एवं 4.3.2 (ii)) इस मद में कुल लागत के क्रमशः 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के व्यय के पश्चात 04 किश्तों में की जाएगी।

## 5.3. वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु सामान्य शर्त

- इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले निजी औद्योगिक पार्क के विकासकर्ता केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों/ लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते विकासकर्ता इस नीति के अन्तर्गत उसी परियोजना हेतु समान मद में छूट/प्रोत्साहन का लाभ नीति के अन्तर्गत प्राप्त न किया जा रहा हो।
- निजी औद्योगिक पार्क में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयां, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की लागू अन्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ एवं प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे।

## 6. सामान्य प्रक्रियाएं, नियम एवं शर्तें

### 6.1. निजी विकासकर्ता के उत्तरदायित्व

- निजी विकासकर्ता यूपीसीडा द्वारा निजी औद्योगिक पार्क हेतु विशिष्ट रूप से जारी सामान्य उप नियमों एवं दिशा निर्देशों के मानकों के अनुसार औद्योगिक पार्क के मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त कर अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करेगा। मानचित्र स्वीकृतकर्ता औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र औद्योगिक पार्क हेतु रेगुलेटरी एथारिटी होगा तथा किसी भी प्रकार के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण नियमानुसार पेनाल्टी भारित कर सकेगा।

- ii. विकासकर्ता निजी औद्योगिक पार्क के अंदर अवस्थापना एवं सेवाओं हेतु मानकों का अनुपालन करेगा तथा औद्योगिक पार्क के भाग के रूप में बनाए गए सामान्य अवस्थापना का प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन विकास कार्य पूर्ण होने के तिथि से न्यूनतम अग्रिम 5 वर्षों तक करेगा।
- iii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवरेज उपचार, जल प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रावधानों का पालन करना होगा और संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
- iv. यूपीसीडा को देय 2 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में सभी प्रोत्साहनों की प्रत्येक किस्त के वितरण के समय राशि से 2 प्रतिशत कटौती कर प्रदान की जायेगी। (रु. 20.00 लाख की अधिकतम सीमा तक)

## 6.2. परियोजना की पूर्णता


कट-ऑफ तिथि से अनुमन्य समय के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा औद्योगिक पार्क में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण कर लिए जाने पर सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र द्वारा सम्पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत हो जाने पर औद्योगिक पार्क की परियोजना को पूर्ण माना जाएगा। यद्यपि कि, स्थायी पूँजी निवेश के मद में पूँजीगत उपादान की अन्तिम 10 व 15 प्रतिशत के वितरण हेतु नीति की अन्य शर्तें लागू रहेगी।

## 7. शास्ति (Penalty)

- i. **कूट-रचना (Forgery)–** यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि विकासकर्ता ने प्रोत्साहन का दावा करने के लिए गलत प्रलेख या मिथ्या/भ्रामक सूचना प्रस्तुत की है, तो आवेदक द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रोत्साहन, प्रोत्साहन वितरण की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
- ii. **परियोजना का समय पर पूर्ण न होना–** यदि निजी विकासकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर औद्योगिक पार्क को पूर्ण करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध निम्नलिखित दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी:–
  - क) बैंक गारंटी का नकदीकरण (स्टांप शुल्क के सापेक्ष)
  - ख) आवेदक द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रोत्साहन की धनराशि को प्रोत्साहन वितरण की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
- iii. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तर 6.1(ii) के उल्लंघन की दशा में प्राप्त प्रत्येक प्रोत्साहन की धनराशि को प्रोत्साहन वितरण की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

- iv. ऐसे प्रकरण, जिनमें बैंक गारंटी का नकदीकरण अथवा प्रोत्साहन धनराशि की वसूली प्रारंभ करने की आवश्यकता हो, उनको यूपीसीडा द्वारा मूल्यांकन समिति के माध्यम से प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत समिति का निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
8. यदि इस योजना से संबंधित किसी बिन्दु की व्याख्या के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा अंतर्भिर्भागीय समन्वय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो योजना के उद्देश्यों के दृष्टिगत उस बिन्दु पर निर्णय हेतु प्राधिकृत समिति स्पष्टीकरण/निर्णय हेतु अधिकृत होगी, जो अन्तिम तथा संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- 2— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार “उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022” के प्रस्तर 4.3 में वर्णित निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन प्राविधान के क्रम में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,  
  
 (मनोज कुमार सिंह) 17.6.23

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या— 39 /2023/1950(1)/77-6-23-2(एम)/2022टीसी 1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
 (जय वीर सिंह)  
 संयुक्त सचिव।

Form:1

**Application Form for Unique ID**

(This form & all supporting records should be attested by the Director/Partner/Officer duly authorized by the applicant on his/her own behalf)


S. No.	Particulars	Details
1.	Name of Developer	
2.	Details of Developer a. Address b. Mobile c. Email d. PAN e. GSTIN	
3.	Name of Proposed Private Industrial Park	
4.	Location and District of the Proposed Park	
5.	Region of the Proposed Park (Bundelkhand/ Poorvanchal/ Madhyanchal/ Paschimanchal)	
6.	Area of proposed Industrial Park (in acres)	
7.	Location Details including distance from Logistical hubs, Airport, Railway Station, Bus Station etc.	
8.	Sector, if it's a Sector Specific Park (Agri/ Food Processing/ IT & Electronics/ Textiles etc.)	
9.	Type of Park (Company/ Partnership/ Society etc)	
10.	Land Ownership Details/ Sale Deed (with Site Map), if land is under possession.  <u>Kindly mention if additional land parcels would be acquired for the Industrial Park over and above the land in possession</u>	
11.	Stamp duty paid for the land parcel, if any	
12.	Khasra Nos (if land parcel/s to be acquired have been identified)	



<b>13.</b>	Proposed investment (Rs. in crores)	
<b>14.</b>	Proposed Completion Date	
<b>15.</b>	Proposed Total Employment  Direct:  Indirect:	
<b>16.</b>	Existing Project area land Use and requirement of Land use Conversion (to Industrial Land Use)	
<b>17.</b>	Is Project area land contiguous	
<b>18.</b>	Is any gram sabha/ government land falling in proposed project area	
<b>19.</b>	Requirement of Land Exchange	
<b>20.</b>	Any other information	

**The form-1 should be accompanied with the following documents:**

- a. Detailed Project Report, (CA Certified)
- b. Promoter's Background and Net worth
- c. Certificate of Incorporation
- d. Memorandum of Association
- e. Articles of Association
- f. Directors- PAN Card Copy or Aadhar Card Copy
- g. Copy of Board Resolution
- h. Shareholding pattern- CA Certified
- i. Feasibility report (CA Certified) which includes the following:
  - Estimated Project Cost and its Breakup
  - Means/Sources of Financing
- j. Audited balance sheet of last 3 yrs. (If it is a new business entity then of holding/sister concern company)- CA Certified
- k. IT Returns of Company of last 3 years
- l. Undertaking (Format Attached)



### **Undertaking**

I / we hereby undertake that the information mentioned in the application along with documents is correct. Further, I/we also undertake to abide by all the conditions laid down in the G.O No: \_\_\_\_\_ dated: --/-/2023 issued by the Infrastructure & Industrial Development Department and subsequent amendments issued thereof.

I / we hereby also undertake the responsibility of land title and getting all required permissions/ clearances from the concerned Authorities at the earliest.

I / we also undertake to obey and abide by all the instructions and existing policies (with any amendment if any) of the Department as well as the Uttar Pradesh Government and for which no litigations will be made by us.

I/We also undertake that I / We are eligible for the scheme laid down in above mentioned G.O. and we will not claim any undue expenses if our application is sanctioned.

I/we hereby agree that I/we shall forthwith repay the benefits (with applicable penalty) released to me/us under UP IIEPP 2022, if any of the provided information is found to be incorrect or misleading or if the provided benefits are found to be disbursed in excess of the amount actually admissible, whatsoever the reason.

I/we hereby declare that there is not any stay order by hon'ble courts on the proposed/acquired land.

Date:

Place:

Applicant's Signature/Authorised Signatory

Name


Designation



Form:2

**Application Form for availing Financial Assistance for Private Industrial Park**

S.No.	Particulars	Details
1.	Name of Developer/ Promoter (Name of SPV, if applicable) Address Contact number Email id Website	
2.	Name of Contact Person of Developer Address Mobile number Email id	
3.	Status of Developer/ Industrial Undertaking Central –State Govt. undertaking Joint / Private Sector undertaking Cooperative Undertaking Joint Venture/ Consortium Any other	
4.	Name of Industrial Park	
5.	Location of the Park Khasra no: Village: Tehsil: District: Region:	
6.	Area of Industrial Park (in acres)	
7.	Sector, if specified (Agri/ Food Processing/ IT etc)	
8.	Number of units to be located in the Park (Park should have min. 5 units, with no single unit occupying more than 80% of the total allocable area for industrial use)	
9.	Type of units to be located in the Park	
10.	Project Details	<b>Area (in acres)</b> <b>Cost (in Rs lacs)</b>
	Land	
	Fixed Capital Investment -Infrastructure ● Roads & Streetlighting ● Water ● Sewerage & Drainage	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Power Supply</li> <li>● Parking &amp; Trucking Bays</li> </ul> <p>-Common Facilities</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Weigh Bridge</li> <li>● Skill Development Centre</li> <li>● Computer Centre</li> <li>● Product Development Centre</li> <li>● Testing Centre</li> <li>● R &amp; D Centre</li> <li>● Container Freight Station</li> <li>● Repair workshop for Vehicles</li> </ul> <p>-Business &amp; Commercial Facilities</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Canteen</li> <li>● Medical centre</li> <li>● Petrol Pump</li> <li>● Banking &amp; Finance</li> <li>● Office Space</li> <li>● Hotel/ Restaurants</li> <li>● Hospital/Dispensary</li> <li>● Administration Office</li> <li>● Warehousing Facilities</li> </ul>		
	Hostel/Dormitory/Housing for Domicile workers		
	Others		
<b>11.</b>	Means of Financing <ul style="list-style-type: none"> <li>● Equity Share Capital</li> <li>● Term Loan</li> <li>● Others</li> </ul>		<u>(in Rs. Lacs)</u>
<b>12.</b>	Promoter Details <p>-Company/ Companies</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Directors (Name &amp; Category of Directorship) <ul style="list-style-type: none"> <li>i.</li> <li>ii.</li> <li>iii.</li> </ul> </li> <li>● Annual Turnover (In Rs Crore)</li> <li>● Networth (In Rs Crores)</li> </ul>		
<b>13.</b>	Equity Breakup of Promoter Companies <p>Company/Companies –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Name</li> <li>● Equity Shareholding</li> <li>● Any dues towards State/Central Govt.</li> <li>● Any Court Case</li> </ul>		



<b>14.</b>	Land Ownership Details/ Sale Deed (with Site Map)	
<b>15.</b>	Land Cost (Actual price/ allotment price)	
<b>16.</b>	Stamp Duty paid	
<b>17.</b>	Registration fees paid	
<b>18.</b>	Land Conversion charges paid, if any	
<b>19.</b>	FAR (as per guidelines) Industrial Commercial Roads Green & Open Spaces Utilities	
<b>20.</b>	FAR utilized for Industrial Commercial Roads Green & Open Spaces Utilities	
<b>21.</b>	FAR utilized for Hostel/ Dormitory	
<b>22.</b>	Ownership of Hostel/Dormitory	
<b>23.</b>	Incentives applied for <ul style="list-style-type: none"> <li>● Capital Subsidy for Fixed Capital Investment</li> <li>● Capital Subsidy for Cost of Building</li> <li>● Stamp duty exemption</li> </ul> Total Amount of Financial Assistance Sought	
<b>24.</b>	Date of Project Completion (Estimated)	
<b>25.</b>	Implementation Schedule <ul style="list-style-type: none"> <li>● Year 1</li> <li>● Year 2</li> <li>● Year 3</li> <li>● Year 4</li> <li>● Year 5</li> <li>● Year 6 (Only for 100 acres &amp; above)</li> </ul>	
<b>26.</b>	Environmental Clearances (If applicable)	
<b>27.</b>	Operation & Maintenance of Park to be taken up by	
<b>28.</b>	Summary Points from the Detailed Project Report such as Project Feasibility, Cash Flow Projections etc.	
<b>29.</b>	Any other information	
<b>30.</b>	Details of Authorised Signatory (Attach Board	



	<p>Resolution)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Name</li> <li>● Designation</li> <li>● Contact details           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Email</li> <li>○ Phone no</li> <li>○ Address</li> </ul> </li> <li>● PAN No</li> </ul>	
31.	<p>Beneficiary Bank Details for disbursal of incentives (Attach Copy of Bank/ Statement or Passbook)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Name</li> <li>● Account No</li> <li>● Type of Account</li> <li>● Name of Bank</li> <li>● IFSC Code</li> </ul>	

**The form-2 should be accompanied with the following documents:**

- a. Detailed Project Report, (CA Certified)
- b. Sanction letter of term loan from bank / financial institution (If Applicable)
- c. Appraisal report from Bank / Financial Institution along with sanctioned DPR from the Bank
- d. Memorandum and Articles of Association
- e. Annual Report of the Promoter Company / Companies
- f. Biodata / background of the office bearers / promoters of the organization and Annual Reports of the Promoter Company / Companies
- g. Approved Map/Building Plan
- h. Land related documents
  - Notarized English / Hindi version of land ownership document showing Land purchase price
  - Receipt of payment of stamp duty
  - Receipt of payment of registration fee
  - Receipt of payment of Land Conversion charges
  - Relevant supporting documents for paid price, if purchased from UPSIDC/DI/FIs/Banks in auction
- i. Item wise and cost wise details of Civil Works incurred/ envisaged duly certified by Chartered Engineer (Civil)
- j. Item wise and cost wise details of Plant & Machinery incurred/envisaged duly certified by Chartered Engineer (Mechanical)
- k. Quotations from the suppliers of Plant & machinery and equipment's etc. required for the project
- l. Estimate of Civil Construction with the complete breakdown of costs for each of the technical or non- technical civil works
- m. Environmental Clearances (If applicable)

- n. Implementation schedule indicating (a) date of acquiring land (b) date of start of construction of infrastructure (c) date of completion of infrastructure (d) date for placing order for plant & machinery (e) date of installation/erection (f) date of commercial Operation of Industrial Park.
- o. An affidavit duly executed on non-judicial stamp paper of Rs.100/- or more duly notarized by Notary Public affirming:
  - Organization's sister concern (s)/ related company / group company as well as the applicant company itself availed any financial assistance for establishing industrial park in the past from Government or not. If yes, the details thereof.
  - Organization has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy from any Ministry/Department of State Govt. /Govt. of UP organization/agencies for the same purpose/activity/same components.

*Mansoor*  
\_\_\_\_

औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क के मानचित्र अनुमोदन हेतु सामान्य उपनियम एवं दिशा निर्देश

## **1. Planning Standards for Private Industrial Parks**

### **1.1 Planning Standards for Roads**

Where existing or proposed roads by other agencies are to be used for access, such as Master Plan roads, Highways; or land under High Tension lines is proposed to be utilized, clearance from the concerned agency is to be sought. Planning of roads and drains in the development of industrial use zone shall be done in the following manner:

#### **a. Road Width**

The approach road width shall be minimum 12.0 m for industrial parks.

#### **b. Inter-Section of Roads:**

- i. As far as possible roads shall intersect at right angles and center line of all roads at the cross-junctions, shall be aligned straight.
- ii. Permission for proposed roads at less than 30-degree angle shall only be given when appropriate arrangement for movement of traffic is ensured and required weaving length is available.
- iii. Sufficient weaving angle shall be provided at the intersections of roads.
- iv. No road of a higher order or larger width can originate from a road of lower order or smaller width.

#### **c. Drainage System:**

For drainage system, drains shall be an integral part of the road and there should be sufficient slope to allow automatic drainage of water.

### **1.2 Planning Standards for Open Area/Green Area, Common Infrastructure**

Minimum of 25% of total land area should be kept for open area, green area and common infrastructure.

### **1.3 Floor Area Ratio (FAR)**

A global FAR of 2.0 will be allowed of which :

- i. Upto maximum of 30% will be allowed for Hostel/Dormitories (not to be sold)
- ii. 2.5% for commercial spaces (Additional 2.5% in case of Private Developers forms a SPV with farmers/Bhumidars contributing more than 50% land for Park)

### **1.4 Map Approval and applicable Building Regulations**

UPSIDA will be the map approving authority and thebyelaws of UPSIDA will be applicable for the same on such private industrial parks proposed in the areas outside Industrial Development Authority/Development Authority/ Urban Local Bodies/other notified areas.

*Manoj*